अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. लालचन्द खोडा पुत्र श्री ईश्वर लाल जाति वाल्मिकी, निवासी प्लाट नम्बर 17, कंवर नगर, हरिजन बस्ती कृष्णा सदन, राजामल का तालाब, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. मनीष उर्फ सोनू पुत्र लालचन्द खोडा,
2. श्रीमती पूनम उर्फ पूरण पत्नी मनीष उर्फ सोनू,

समस्त निवासियान प्लाट नम्बर 17, कंवर नगर, हरिजन बस्ती कृष्णा सदन, राजमल का तालाब, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.09.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 70/2022 ब उनवानी लालचन्द खोडा बनाम मनीष उर्फ सोनू व अन्य।

उपस्थितः–

1. प्रतिनिधि अपीलार्थी की ओर से।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 09.02.2026**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 70/2022 ब उनवानी लालचन्द खोडा बनाम मनीष उर्फ सोनू में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2022 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 4629/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 द्वारा न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.01.2024 को अपास्त करते हुये नये सिरे से आदेश पारित करने के आदेश पारित किये गय है की पालना में अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी–अपीलकर्ता ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत भरण पोषण दिलाये जाने एवं मकान नम्बर 17,

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कंवर नगर, हरिजन बस्ती कृष्णा नगर, राजमहल का तालाब, जयपुर का कब्जा अप्रार्थीगण से दिलवाये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 4, 5, 9 व 24 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 15.09.2022 को किया गया और निम्न आदेश पारित किया गया । "प्रकरण में प्रार्थी द्वारा भरण पोषण अधिनियम की धारा 4, 5, 9 व 24 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को मकान नम्बर 17, कंवर नगर, हरिजन बस्ती कृष्णा सदन, राजमहल का तालाब, जयपुर से बेदखल कर भौतिक कब्जा दिलवाते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे की भविष्य में प्रार्थी को कब्जे से बेदखल नहीं करें प्रार्थी के साथ भविष्य में मारपीट नहीं करें तथा न ही असामाजिक तत्वों से मिल कर मकान को बेचे। प्रार्थी को 11000/-रूपये मुकदमा खर्चा दिलवाया जावे। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपस्थित पक्षकारों को सुना जाकर पाया गया कि प्रार्थी नगर निगम जयपुर से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी है। प्रार्थी अक्सर बीमार रहता है तथा अप्रार्थीगण से प्रताड़ित रहा है । इस संबंध में अप्रार्थीगण को आदेश द्वारा पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में प्रार्थी के साथ मारपीट गाली गलौच नहीं करें तथा वर्तमान निवास स्थल पर शान्ती पूर्वक निवास करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। इस संबंध में थानाधिकारी को तहरीर जारी हो।" अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि विरुद्ध आलोच्य आदेश है जिसमें प्रार्थी को संरक्षण आदेश तो दिया गया है लेकिन कब्जे के बाबत आदेश मौन है जिसके कारण प्रार्थी माननीय अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश कर रहा है। अपील स्वीकार की जाकर विवादित आलोच्य आदेश दिनांक 15.09.2022 को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थीगण से विवादित मकान का अपीलार्थी को कब्जा दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के प्रतिनिधि ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा वाद सुनवाई व साक्ष्य के आधार पर न्याय संगत निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अवैधानिक होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के तीन पुत्र है जिसमें बडे पुत्र मनोज को अपीलार्थी ने विद्याधर नगर जयपुर में अपने स्वयं के खर्च पर राजकीय सेवा में रहते हुए मकान बना कर दिया है जहाँ वह परिवार सहित रहता है व छोटे पुत्र सुधीर व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपने परिवार सहित उक्त निवास स्थान पर निवास कर रहे है। अपीलार्थी वर्तमान में राजकीय सेवा से सेवा निवृत्ति के पश्चात मिलने वाले परिलाभ राज्य सरकार से प्राप्त कर रहा है। प्रार्थी नगर निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी है तथा जिस सम्पत्ति का जिक्र किया गया है वह प्रार्थी को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण/कब्जे के आधार पर अहस्तान्तरण कब्जा पत्र नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी ने उक्त वर्णित सम्पत्ति पर जो अतिक्रमण कर कब्जा किया वह सरकारी कर्मचारी होने के से अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त सभी आधार पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी का परिवाद निर्णित किया है जो सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी ने यह अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर [illegible]828/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 द्वारा न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.01.2024 को अपास्त करते हुए नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रार्थी नगर निगम से सेवा निवृत्त कर्मचारी है एवं पेंशनभोगी है जिससे भरण पोषण राशि दिलाये जाने के संबंध में अनुतोष

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दिया जाना स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने विवादित मकान से प्रत्यर्थीगण को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ अधिकरण के पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में अपीलार्थी द्वारा नगर निगम जयपुर द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में आवासीय उपयोग हेतु नियमन आदेश पत्र/अधिकार पत्र/लीजडीड जारी किया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलार्थी ने उक्त सम्पति अपनी स्व–अर्जित आय से क्रय की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त सम्पति को क्रय करने बाबत को दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलार्थी ने प्रकरण में यह भी अंकित नहीं किया गया है उक्त सम्पति पर अपीलार्थी का कब से कब्जा रहा है। इसलिए हम प्रत्यर्थीगण को विवादित सम्पति से बेदखल करना उचित नहीं समझते है। हम अधीनस्थ अधिकरण पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। अधीनस्थ अधिकरण के आलौच्य आदेश की पालना कराया जाना अपेक्षित है। अतः आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य आदेश 15.09.2022 की पालना कराया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner